भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1051
गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पर सौर पैनलों की स्थापना</u>

1051. डॉ. रामशंकर कठेरिया: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का छत पर लगाए जाने वाले सौर पैनलों की स्थापना को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु आवेदन प्रक्रिया को परिवर्तन लाकर सुव्यवस्थित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छत पर लगाए जाने वाले सौर पैनलों की स्थापना की पहल से सौर ऊर्जा उत्पादन और इसके प्रभाव को विकेंद्रीकृत करने में होने वाली मदद का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को उन्नत करने के लिए की गई/की जा रही अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा रूफटॉप सौर कार्यक्रम के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके रूफटॉप सौर को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का लाभ उठाने के लिए, उपभोक्ताओं/लाभार्थियों को वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) द्वारा अपेक्षित बिजली बिल, फोटोग्राफ और दस्तावेज (जैसे नेट मीटरिंग आवेदन, पैन, आधार कॉपी, शपथ पत्र, संपत्ति का स्वामित्व, सोसायटी एनओसी, सिंगल लाइन डायग्राम, उपकरण डेटाशीट, आदि) प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में दस्तावेज़ीकरण में भिन्नता हो सकती है।

रूफटॉप सौर को व्यापक स्तर पर अपनाना सुविधाजनक बनाने के लिए, एमएनआरई ने जनवरी, 2024 में रूफटॉप सौर के तहत सीएफए प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। उपभोक्ताओं को अब केवल पिछले छह माह का कोई बिजली बिल, परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (पीसीआर), रूफटॉप सौर स्थापना को प्रदर्शित करने वाली तस्वीरें, और उपभोक्ता तथा विक्रेता के बीच एक औपचारिक समझौता प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ।

एमएनआरई ने उपभोक्ता द्वारा रूफटॉप सौर परियोजनाओं की स्थापना को आसान बनाना सुनिश्चित करने हेतु आवेदकों से कोई अतिरिक्त कागजात की मांग करने से बचने के निर्देश डिस्कॉमों/कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए हैं। इन उपायों के अलावा, एमएनआरई ने डिस्कॉमों को स्मार्ट मीटरों या नेट मीटरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिससे परियोजना के चालू होने में होने वाली देरी को रोका जा सके।

(ग) रूफटॉप सौर स्थापनाएं, खपत के स्थल पर ऊर्जा उत्पादन को संभव बनाती हैं, जिससे केंद्रीकृत विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता कम हो जाती है। यह स्थानीय उत्पादन समुदाय या भवन के भीतर, जहां इसकी आवश्यकता

हो, ऊर्जा की मांग को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने में मदद करता है। यह आगे पारेषण नुकसानों में कमी लाता है, ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है, और ग्रिड विकेंद्रीकरण में योगदान देता है

(घ) देश में अक्षय विद्युत को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2029-30 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा,
- बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु भूमि एवं पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" को अधिसूचित करना,
- एक्सचेंज के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई,
- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई।
- वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अक्षय विद्युत बोलियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्टरी को अधिसूचित करना। ट्रेजेक्ट्री के तहत, 50 गीगावाट प्रतिवर्ष की अक्षय ऊर्जा बोलियां जारी की जाएंगी।

*****